राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक :– 24-06-2022

आयोग द्वारा माह जनवरी, 2022 से ओ.टी.आर. प्रक्रिया लागू किये जाने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने पर अभ्यर्थी के जनआधार/आधार कार्ड में दर्ज सूचना (स्वयं का नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि) सिस्टम द्वारा ऑनलाईन स्वतः दर्ज (Automatic Fetch) किया जाता है। जनआधार/आधार कार्ड में प्रविष्ट सूचना एवं शैक्षणिक दस्तावेजो के डाटा में कई प्रकार की भिन्नता होना कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्त किया गया है। आयोग द्वारा ओ.टी.आर. डाटा में शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुरूप संशोधन एवं तदनुरूप ओ.टी.आर. के माध्यम से भरे गए भर्ती आवेदनों में संशोधन का एक अवसर उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार संशोधन करने के लिए एकबारीय निःशुल्क अवसर प्रदान किया जाता है। ओ.टी.आर. प्रोफाईल में संशोधन प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी :–

1. ओटीआर में संशोधन हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी ने जिस माध्यम से पूर्व में OTR प्रोफाईल बनाई थी, यथा आधार, जनआधार एवं SSO Profile आदि में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्मतिथि में संशोधन करवाना होगा। उक्त दस्तावेजों में संशोधन कराये बिना OTR में संशोधन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।
2. उक्त दस्तावेजों/SSO Profile में संशोधन पश्चात अभ्यर्थी अपने SSO में Login करने के बाद Recruitment Portal पर क्लिक करेगा। Recruitment Portal में जाने के बाद अभ्यर्थी Dashboard में One Time Registration पर क्लिक करेगा।
3. इसके पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा पूर्व में भरी गई OTR प्रोफाईल प्रदर्शित होगी, जिसके अन्त में अभ्यर्थी Sync बटन पर क्लिक करेगा।
4. Sync बटन पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाईल नं0 (आधार/जनआधार/SSO Profile में इन्द्राज मोबाईल नं0) पर एक OTP आयेगा, अभ्यर्थी OTP दर्ज करने के बाद Verify बटन पर क्लिक कर के OTP सत्यापित करेगा।
5. इसके पश्चात अभ्यर्थी के स्क्रीन पर एक pop up खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्मतिथि fetch होगी। अभ्यर्थी इसे कन्फर्म करने के बाद Final Submit बटन पर क्लिक करेगा।
6. एक बार Final Submit होने के बाद अभ्यर्थी पुनः OTR में संशोधन नहीं कर पायेगा।
7. उक्त संशोधन की अवधि दिनांक 25.06.2022 से 24.07.2022 की रात्री 12:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जायेगा।
8. अतः अभ्यर्थी ओ.टी.आर. प्रोफाईल में संशोधन की अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना यथा–समय संशोधन कर लेवे। इसके पश्चात् संशोधन के लिए समय नहीं दिया जायेगा।

(आशुतोष गुप्ता)
संयुक्त सचिव